भारत सरकार | **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | **अतारांकित प्रश्न सं. 985**

<u>दिनांक 29 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

jkT; 0;kikj fuxe fyfeVsM d vf/kdkfj;ksa d fo#) e[; lrdrk vk;Dr }kjk tkp

985- Jh eksf unhey gdh

D;k okf.kT; vkj m|kx ea=h ;g crkus dh dik djsx fd%

¼d½ D;k ;g lp g fd e=ky; u jkT; 0;kikj fuxe ¼,lVhlh½ fyfeVsM d dN vf/kdkfj;ksa d fo#) e[; lrdrk vk;Dr }kjk tkp dh vuefr nh g(

¼[k½ ;fn gk] rks vf/kdkfj;ksa d uke lfgr rRlEca/kh C;kjk D;k g(

¼x½ D;k ljdkj u bl rjg dh tkp d fy, dksbZ vfre frfFk fu/kkfjr dh g(

¼?k½ ;fn gk] rks rRlEca/kh C;kjk D;k g vkj ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k g(vkj

¼³½ ,lVhlh dks fiNy rhu o"kksZa e viu vf/kdkfj;ksa dh xyfr;ksa d dkj.k fdruh {kfr mBkuh iMh vkj bl il dh olyh dl dh tk,xh\

<u>उत्तर</u>

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क): जी, नहीं ।

(ख) से (घ): उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ड़): अधिकारियों के अपराध या चूक के विभिन्न कृत्यों के कारण जब कभी किसी भी लेन देन में कोई भी अप्रत्याशित हानि होती है तो उनके खिलाफ पूछताछ शुरू की जाती है। लेन-देन में हुई हानि की राशि को एक अधिकारी के दुराचार से सीधे लिंक करना संभव नहीं है। एसोसिएटों/पार्टियों से बकाया देय राशि की वसूली के लिए मध्यस्थता कार्यवाही, आपराधिक शिकायतें, वसूली/संक्षिप्त मुकदमे, गिरवी वस्तुओं का जोखिम विक्रय और अन्य कानूनी कदम/उपाय जैसे विभिन्न कार्रवाई की जाती है। विवेकपूर्ण लेखा नीतियों के रूप में जब कभी आवश्यकता होती है प्रावधान किया जाता है/बट्टे खाते डाला जाता है।

*****